# ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमति सुभाषना देवी | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री कानू राम | 01/04/2022 से 31/03/2023 |
| 2. | श्री टैनी सिंह | 01/04/2023 से 31/03/2024 |

**तकनीकी सहायक :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमति रोमी सूद | 01/04/2022 से 31/03 2024 |

**ग्राम रोजगार सेवक :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 . | श्री रंजीत सिंह | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.1 | रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना | **0.25** |
| 2. | 4.3 | ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में अंतर पाया जाना | **0.28** |
| 3. | 6 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | **9.68** |
| 4. | 7 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना | **0.30** |
| 5. | 8.1 | आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि पाई जाना | **0.62** |
| 6. | 9.1 | मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त | **0.69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना | |
| 7. | 11.3 | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना पाया जाना | **0.04** |
| 8. | 10.1, 10.2 व 11.2 | अंकेक्षण के दृष्टांत पर अनियमित भुगतानों की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना | **0.04** |

## भाग – दो

## 2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.05.2024 से 03.06.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

| वित्तीय वर्ष | आय (माह) | व्यय (माह) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 09/2022 | 08/2022 |
| 2023-24 | 07/2023 | 08/2023 |

**<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> -** ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

**(क)** पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 14/2024 दिनांक 24.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट** - "**क**" और "**ख**" में दिया गया है:-

**1. स्वः स्त्रोत:-**

| **अवधि** | **अथशेष** | **प्राप्ति** | **योग (कालम 2+3)** | **व्यय** | **अन्तशेष (कालम 4-5)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2022-23 | 166295.18 | 10064.00 | 176359.18 | 74639.00 | 101720.18 |
| 2023-24 | 101720.18 | 84319.00 | 186039.18 | 125307.00 | 60732.18 |

**2. अनुदान:-**

| **अवधि** | **अथशेष** | **प्राप्ति** | **योग (कालम 2+3)** | **व्यय** | **अन्तशेष (कालम 4-5)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2022-23 | 1270954.37 | 3071228.40 | 4342182.77 | 3086294.40 | 1255888.37 |
| 2023-24 | 1255888.37 | 1138665.34 | 2394553.71 | 1426250.34 | 968303.37 |

**कुल योग (1+2)** = 60732.18+ 968303.37 = **1029035.55**

**(ख) बैंक समाधान विवरणी:-**

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष से **₹10,29,035.55** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹10,53,982.55** से सम्बन्धित विवरणी **(परिशिष्ट – "ग")** निम्नानुसार है: -

| क्र० | अनुदान | बैंक | खाता संख्या | बैंक अंत शेष 31.03.24 को |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सभा निधि (OWN SOURCE) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002928 | 58422.18 |
| 2 | 5 वां राज्य वित्त (5TH SFC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002927 | 121039.00 |
| 3 | VKVNY / SDP | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002925 | 48205.00 |
| 4 | SDRF | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002923 | 4049.00 |
| 5 | 14 वां वित्त (14TH FC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002930 | 21709.37 |
| 6 | 15 वां वित्त (15TH FC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002929 | 798248.00 |
| | हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत) | | | 2310.00 |
| | बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग : | | | 1053982.55 |
| | **दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-** | | | |
| | पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:- | | | **₹10,53,982.55** |
| | रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा 4 (क) अन्तशेष :- | | | **₹10,29,035.55** |
| | **अंतर :-** | | | **₹24,947.00** |
| | | | | |

**नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

**4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.25 लाख का अन्तर पाया जाना:-**

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹24,947.00** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही

वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-"क" खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-"ख" खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार एस०डी०पी० एवं वी०के०वी०एन०वाई० का एक ही बैंक खाता संख्या 4609101002925 खोला गया था जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण एस०डी०पी० एवं वी०के०वी०एन०वाई० के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में

नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अलग अलग बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और एस०डी०पी० एवं वी०के०वी०एन०वाई० अनुदान का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹0.28 लाख का अंतर पाया जाना** :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें है, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप **₹27,586.00** का अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत के लेखें खाते सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं, जिसका विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

**(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)**

| | | प्राप्ति (₹) | | | भुगतान (₹) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | रोकड़ बही अनुसार | अंतर | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | रोकड़ बही अनुसार | अंतर |
| 1 | 2022-23 | 1428379.00 | 1432357.00 | 3978.00 | 1525570.00 | 1511998.00 | 13572.00 |
| 2 | 2023-24 | 552187.00 | 554523.00 | 2336.00 | 869844.00 | 883096.00 | 13252.00 |

| (ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र०सं०** | **वित्तीय वर्ष** | **ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष** | **बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष** | **अंतर** |
| 1 | 2023-24 | 1076723.55 + 4845 (हस्तगत नगद) = 1081568.55 | 1051672.55 + 2310 (हस्तगत नगद) = 1053982.55 | **₹27,586.00** |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

## 5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6. अनुदान राशि ₹9.68 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 14/2024 दिनांक 24.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 9,68,303.37** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/गदियाड़ा दिनांक 27.05.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 09 दिनांक 27.05.2024 द्वारा उपलब्ध

करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 430 (361 APL व 69 BPL) तथा 2023-24 में 433 (364 APL व 69 BPL) परिवारों का ₹50/- (Apl) व ₹40/- (Bpl) प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹29,830.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

**वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-**

| **अवधि** | **अथशेष** | **कुल परिवार** | **गृहकर वार्षिक दर** | **मांग** | **योग (कालम 2+5)** | **प्राप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 2022-23 | ₹ 840.00 | 430 | 50,40 | ₹ 20,810.00 | ₹ 21,650.00 | ₹ 710.00 | ₹ 20,940.00 |
| 2023-24 | ₹ 20,940.00 | 433 | 50,40 | ₹ 20,960.00 | ₹ 41,900.00 | ₹ 12,070.00 | ₹ 29,830.00 |

उक्त सारणी में उल्लेखित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है तथा यदि बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल करना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8. व्यय**

**8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.62 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि:-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2022 व 08/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " च"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹62,496.18** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹62,496.18** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8.2 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 08/2022 व 08/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

| क्र0 सं0 | वर्ष | चयनित माह | चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2022-23 | 08/2022 | **8,20,590.30** |
| 2. | 2023-24 | 08/2023 | **3,60,213.00** |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

**9. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-**

**9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.69 लाख के मस्ट्रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन

करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹68,734.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट** - " **छ** " पर संलग्न है, जिससे पंचायत की लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव परिलक्षित होता है तथा किसी भी स्तर पर किसी गड़बड़ी व हेर-फेर की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोल को रजिस्टर में प्रविष्टि कर जारी किया जाएगा, मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्ट्रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**10. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹0.02 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे :-**

**10.1 निर्माण कार्य निर्माण रास्ता सुलह कुहल से त्रिलोक के घर तक राशि ₹0.01 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे : -**

निर्माण कार्य निर्माण रास्ता सुलह कुहल से त्रिलोक के घर तक का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी की निष्पादित मात्रा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत बजरी के क्रय हेतु राशि **₹ 1282.50** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम : | **निर्माण कार्य निर्माण रास्ता सुलह कुहल से त्रिलोक के घर तक** |
| शीर्ष : | **14 th FC** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत राशि: | **₹50,000.00** | | | | | | |
| कुल व्यय राशि : | **₹49,883.00** | | | | | | |
| एम० बी० संख्या / पृ० सं० | **12413** पृ०सं० **97 से 99** | | | | | | |
| मस्ट्रोल संख्या/अवधि | **7108 / 16.05.2022 से 23.05.2022** | | | | | | |
| मस्ट्रोल का भुगतान | वाउचर संख्या **10** दिनांक **17.08.2022** | | | | | | |
| बिल संख्या/दिनांक | **163/ 16.05.2022** | | | | | | |
| आपूर्तिकर्ता | **अर्जुन चंद** | | | | | | |
| वाउचर संख्या/दिनांक | **29/ 21.12.2022** | | | | | | |
| **क्र०** | **सामग्री का नाम** | **क्रय की गई सामग्री** | **माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा** | **निर्धारित माप दण्ड अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा** | **अन्तर** | **दर** | **राशी** |
| 1. | **रेत** | **120 cft** | **120 cft** | **108.75 cft** | **11.25 cft** | **₹44.00** | **₹495.00** |
| 2. | **बजरी** | **240 cft** | **240 cft** | **217.50 cft** | **22.50 cft** | **₹35.00** | **₹787.50** |
| | | | | | | **कुल योग** | **₹ 1282.50** |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि ज्ञापन प्राप्त होने के तुरंत बाद राशि **₹1283.00** की वसूली कर ली गई है व वसूली गई राशि को सभा निधि बैंक खाता संख्या **4609101002928** में जमा करवा दिया गया और उसके बाद RTGS के माध्यम से सभा निधि से Director Rural Development, H.P. Shimla, खाता संख्या **41930001000 31015** में जमा करवा दिया गया है।

अंकेक्षण द्वारा उक्त राशि की वसूली की पुष्टि संबंधित रसीद, बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही से कर ली गई है व सुझाव दिया जाता है की इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाये।

**10.2 निर्माण बावड़ी नजदीक पृथि चंद के घर तक में राशि ₹0.01 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे : -**

अंकेक्षण के दौरान निर्माण बावड़ी नजदीक पृथि चंद के घर का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी की निष्पादित मात्रा को निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी के क्रय हेतु राशि ₹**1095.00** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्य का नाम : | | | **निर्माण बावड़ी नजदीक पृथि चंद के घर** | | | | |
| शीर्ष : | | | **15 th FC** | | | | |
| स्वीकृत राशि: | | | **₹50,000.00** | | | | |
| कुल व्यय राशि : | | | **₹44,140.00** | | | | |
| एम० बी० संख्या / पृ० सं० | | | **12452 पृ०सं० 85 से 89** | | | | |
| बिल संख्या/दिनांक | | | **129 / 11.08.2022** | | | | |
| आपूर्तिकर्ता | | | **अर्जुन चंद** | | | | |
| वाउचर संख्या/दिनांक | | | **XVFC/2022-23/P/8 दिनांक 06.08.2022** | | | | |
| **क्र०** | **सामग्री का नाम** | **क्रय की गयी सामग्री** | **माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा** | **वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा** | **अन्तर** | **दर** | **राशि (₹)** |
| 1. | **रेत** | **70 cft** | **70 cft** | **60.90 cft** | **9.10 cft** | **₹44.00** | **₹400.40** |
| 2. | **गटका** | **150 cft** | **150 cft** | **129.58 cft** | **20.42 cft** | **₹34.00** | **₹694.28** |
| | | | | | | **कुल योग** | **₹ 1094.68** |
| | | | | | | **Round Off Total** | **₹ 1095.00** |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि ज्ञापन प्राप्त होने के तुरंत बाद राशि ₹**1095.00** की वसूली कर ली गई है व वसूली गई राशि को सभा निधि

बैंक खाता संख्या **4609101002928** में जमा करवा दिया गया और उसके बाद RTGS के माध्यम से सभा निधि से Director Rural Development, H.P. Shimla, खाता संख्या **41930001000031015** में जमा करवा दिया गया है।

अंकेक्षण द्वारा उक्त राशि की वसूली की पुष्टि संबंधित रसीद, बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही से कर ली गई है व सुझाव दिया जाता है की इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाये।

## 11. विविध अनियमितताएं :-

**11.1** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

### 11.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/गदियाड़ा दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 03.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि

खाता बैंक संख्या 4609101002928 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र०सं० | आवेदनकर्ता | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | रसीद संख्या | दिनांक | वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वीरेंद्र भटेडिया | 05.06.2023 | 05.09.2023 | 0481669 | 03.06.2024 | ₹ 400.00 |
| 2 | दीपक शर्मा | 07.12.2023 | 31.01.2024 | 0481670 | 03.06.2024 | ₹ 400.00 |
| 3 | विकास | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 0481671 | 03.06.2024 | ₹ 200.00 |
| 4 | संजीव कुमार | 31.01.2024 | 01.03.2024 | 0481672 | 03.06.2024 | ₹ 200.00 |
| 5 | विजय कुमार | 01.03.2024 | 21.03.2024 | 0481673 | 03.06.2024 | ₹ 200.00 |
| | | | | | **कुल योग** | **₹ 1,400.00** |

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

**11.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -**

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹ 4200.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/गदियाड़ा दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 03.06.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख | संदर्भित नियम | फॉर्म संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | विनिधानों के लिए रजिस्टर | 12 | 01 |
| 2. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | 15 (1) | ---- |
| 3. | वर्गीकृत सार | 29 (4) | 8 |
| 4. | अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर | 30 | 09 |
| 5. | तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर | 95(1) | 31 |
| 6. | बजट प्राक्कलन | 37 | 11 |
| 7. | अनुदान रजिस्टर | 61 (1) | 21 |
| 8. | निर्माण कार्य रजिस्टर | 103 | ------- |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/गदियाड़ा दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10 दिनांक 28.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/गदियाड़ा दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 03.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

16 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4024–4028 का०/प्राप्ति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)415/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्राप्ति

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 5(क) " के संदर्भ में)

# ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP GADIYADA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 166295.18 | 10064.00 | 176359.18 | 74639.00 | 101720.18 |
| 2023-24 | 101720.18 | 84319.00 | 186039.18 | 125307.00 | 60732.18 |

2 GRANTS-IN-AID

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1270954.37 | 3071228.40 | 4342182.77 | 3086294.40 | 1255888.37 |
| 2023-24 | 1255888.37 | 1138665.34 | 2394553.71 | 1426250.34 | 968303.37 |

Tainy Singh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गदियाड़ा
डा० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या "५(क)" के संदर्भ में)

## ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GADIYADA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5thSFC | 2022-23 | 35064.00 | 172978.00 | 208042.00 | 66000.00 | 142042.00 |
| | | 2023-24 | 142042.00 | 266056.00 | 408098.00 | 287059.00 | 121039.00 |
| 2 | VKVNY / SDP | 2022-23 | 272.00 | 131307.00 | 131579.00 | 37920.00 | 93659.00 |
| | | 2023-24 | 93659.00 | 2717.00 | 96376.00 | 48171.00 | 48205.00 |
| 3 | SDRF | 2022-23 | 0.00 | 101326.00 | 101326.00 | 54824.00 | 46502.00 |
| | | 2023-24 | 46502.00 | 24364.00 | 70866.00 | 66817.00 | 4049.00 |
| 4 | 14TH FC | 2022-23 | 746879.37 | 20569.00 | 767448.37 | 746930.00 | 20518.37 |
| | | 2023-24 | 20518.37 | 1250.00 | 21768.37 | 59.00 | 21709.37 |
| 5 | 15TH FC | 2022-23 | 488739.00 | 996113.00 | 1484852.00 | 531685.00 | 953167.00 |
| | | 2023-24 | 953167.00 | 175817.00 | 1128984.00 | 355683.00 | 773301.00 |
| 6 | MNREGA | 2022-23 | 0.00 | 1648935.40 | 1648935.40 | 1648935.40 | 0.00 |
| | | 2023-24 | 0.00 | 668461.34 | 668461.34 | 668461.34 | 0.00 |

Tainy Singh

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गढ़ियाड़ा
वि०ख० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ग"

## कार्यालय ग्राम पंचायत गदियाड़ा, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176061

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

| क्र०सं० | शीर्ष | बैंक | खाता सं० | बैंक अंत शेष 31.03.2024 | रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सभा निधि (OWN SOURCE) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002928 | 58422.18 | 60732.18 |
| 2 | 5 वां राज्य वित्त (5TH SFC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002927 | 121039.00 | 121039.00 |
| 3 | VKVNY / SDP | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002925 | 48205.00 | 48205.00 |
| 4 | SDRF | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002923 | 4049.00 | 4049.00 |
| 5 | 14 वां वित्त (14TH FC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002930 | 21709.37 | 21709.37 |
| 6 | 15 वां वित्त (15TH FC) | CANARA बैंक बगौड़ा | 4609101002929 | 798248.00 | 773301.00 |
| | | | जोड़ (क) | 1051672.55 | 1029035.55 |
| | | | हस्तगत शेष (ख) | 2310.00 | 0.00 |
| | | | कुल जोड़ (क + ख) | 1053982.55 | 1029035.55 |

| दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :- | | |
|---|---|---|
| पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:- | | 1053982.55 |
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :- | | 1029035.55 |
| अंतर :- | | 24947.00 |

Tainy Singh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गदियाड़ा
तह0 पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

(परिशिष्ट " ५ ", पैरा संख्या " ५.३ " के संदर्भ में )

## ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.27 लाख का अंतर

(क) चयनित माह के दौरान ई ग्राम स्वराज में दर्ज मासिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार मासिक प्राप्ति/व्यय में अंतर (Except MNREGA)

| | | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र०सं० | चयनित माह | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार | अंतर | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | हस्तलिखित रोकड़ बही | अंतर |
| 1 | अगस्त 2022 | ₹ 1,79,279.00 | ₹ 1,83,289.00 | ₹ 4,010.00 | ₹ 2,25,128.00 | ₹ 2,25,628.00 | ₹ 500.00 |
| 2 | सितंबर 2022 | ₹ 1,213.00 | ₹ 1,463.00 | ₹ 250.00 | ₹ 92,200.00 | ₹ 92,200.00 | ₹ 0.00 |
| 3 | जुलाई 2023 | ₹ 1,40,973.00 | ₹ 1,46,602.00 | ₹ 5,629.00 | ₹ 1,54,456.00 | ₹ 1,58,226.00 | ₹ 3,770.00 |
| 4 | अगस्त 2023 | ₹ 1,860.00 | ₹ 0.00 | ₹ 3,432.00 | ₹ 1,49,999.00 | ₹ 29,398.00 | ₹ 1,53,000.00 |

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

| | | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | रोकड़ बही अनुसार | अंतर | ई-ग्राम स्वराज अनुसार | रोकड़ बही अनुसार | अंतर |
| 1 | 2022-23 | ₹ 14,28,379.00 | ₹ 14,32,357.00 | ₹ 3,978.00 | ₹ 15,25,570.00 | ₹ 15,11,998.00 | ₹ 13,572.00 |
| 2 | 2023-24 | ₹ 5,52,187.00 | ₹ 5,54,523.00 | ₹ 2,336.00 | ₹ 8,69,844.00 | ₹ 8,83,096.00 | ₹ 13,252.00 |

(ग) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष | बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 1076723.55 + 4845 (हस्तगत नगद) = 1081568.55 | 1051672.55 + 2310 (हस्तगत नगद) = 1053982.55 | **₹ 27,586.00** |

Tainy Singh
पंचायत सचिव गादियाडा
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड भवारना

(परिशिष्ट "ड." पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

## कार्यालय ग्राम पंचायत गदियाड़ा, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176061

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 430 (361 APL व 69 BPL) तथा 2023-24 में 433 (364 APL व 69 BPL) परिवारों का ₹50/- (Apl) व ₹40/- (Bpl) प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

| वित्तीय वर्ष | अथशेष | परिवार | गृहकर वार्षिक दर | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ₹ 840.00 | 430 | 50,40 | ₹ 20,810.00 | ₹ 21,650.00 | ₹ 710.00 | ₹ 20,940.00 |
| 2023-24 | ₹ 20,940.00 | 433 | 50,40 | ₹ 20,960.00 | ₹ 41,900.00 | ₹ 12,070.00 | ₹ 29,830.00 |
| | नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹29,830/- है। | | | | | | |

Tainy Singh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गदियाड़ा
तह0 पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

**ग्राम पंचायत गदियाडा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.62 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण**

| | मनरेगा | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा0 सं ० / दिनांक | बिल सं ०/ दिनांक | मद का नाम | Qty (Feet) | Qty (Cum) | Determining Factor | Qty MT | Royality (Per MT) | Due Royality |
| 1 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 062/13.04.22 | रेत | 300 | 8.496 | 1.62 | 13.764 | 80 | 1101.10 |
| 2 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 063/13.04.22 | क्रेशर | 600 | 16.992 | 1.52 | 25.828 | 80 | 2066.27 |
| 3 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 039/13.04.22 | रेत | 140 | 3.965 | 1.62 | 6.423 | 80 | 513.85 |
| 4 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 040/13.04.22 | क्रेशर | 280 | 7.930 | 1.52 | 12.053 | 80 | 964.26 |
| 5 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 041/13.04.22 | रेत | 200 | 5.664 | 1.62 | 9.176 | 80 | 734.07 |
| 6 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 042/13.04.22 | क्रेशर | 400 | 11.328 | 1.52 | 17.219 | 80 | 1377.51 |
| 7 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 056/13.04.22 | रेत | 70 | 1.982 | 1.62 | 3.212 | 80 | 256.92 |
| 8 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 057 /13.04.22 | क्रेशर | 140 | 3.965 | 1.52 | 6.027 | 80 | 482.13 |
| 9 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 038 /13.04.22 | क्रेशर | 400 | 11.328 | 1.52 | 17.219 | 80 | 1377.51 |
| 10 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 037/13.04.22 | रेत | 200 | 5.664 | 1.62 | 9.176 | 80 | 734.07 |
| 11 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 035 /13.04.22 | रेत | 180 | 5.098 | 1.62 | 8.258 | 80 | 660.66 |
| 12 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 036/13.04.22 | क्रेशर | 300 | 8.496 | 1.52 | 12.914 | 80 | 1033.14 |
| 13 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 048/13.04.22 | रेत | 200 | 5.664 | 1.62 | 9.176 | 80 | 734.07 |
| 14 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 049/13.04.22 | क्रेशर | 400 | 11.328 | 1.52 | 17.219 | 80 | 1377.51 |
| 15 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 050/13.04.22 | रेत | 180 | 5.098 | 1.62 | 8.258 | 80 | 660.66 |
| 16 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 051/13.04.22 | क्रेशर | 350 | 9.912 | 1.52 | 15.067 | 80 | 1205.32 |
| 17 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 046/13.04.22 | रेत | 350 | 9.912 | 1.62 | 16.058 | 80 | 1284.62 |
| 18 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 047/13.04.22 | क्रेशर | 700 | 19.824 | 1.52 | 30.133 | 80 | 2410.65 |
| 19 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 044/13.04.22 | रेत | 200 | 5.664 | 1.62 | 9.176 | 80 | 734.07 |
| 20 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 045/13.04.22 | क्रेशर | 400 | 11.328 | 1.52 | 17.219 | 80 | 1377.51 |
| 21 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 074/13.04.22 | रेत | 280 | 7.930 | 1.62 | 12.846 | 80 | 1027.70 |
| 22 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 075/13.04.22 | क्रेशर | 720 | 20.391 | 1.52 | 30.994 | 80 | 2479.52 |
| 23 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 066/13.04.22 | रेत | 200 | 5.664 | 1.62 | 9.176 | 80 | 734.07 |
| 24 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 067/13.04.22 | क्रेशर | 400 | 11.328 | 1.52 | 17.219 | 80 | 1377.51 |
| 25 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 070/13.04.22 | रेत | 280 | 7.930 | 1.62 | 12.846 | 80 | 1027.70 |
| 26 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 071/13.04.22 | क्रेशर | 600 | 16.992 | 1.52 | 25.828 | 80 | 2066.27 |
| 27 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 058/13.04.22 | रेत | 350 | 9.912 | 1.62 | 16.058 | 80 | 1284.62 |
| 28 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 059/13.04.22 | क्रेशर | 700 | 19.824 | 1.52 | 30.133 | 80 | 2410.65 |
| 29 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 060/13.04.22 | गटका (पत्थर) | 850 | 24.073 | 2.24 | 53.922 | 80 | 4313.79 |
| 30 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 068/13.04.22 | रेत | 1000 | 28.321 | 1.62 | 45.879 | 80 | 3670.35 |
| 31 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 072/13.04.22 | क्रेशर | 1000 | 28.321 | 1.52 | 43.047 | 80 | 3443.78 |
| 32 | अर्जुन चंद | Nil/22.08.22 | 073/13.04.22 | गटका (पत्थर) | 1000 | 28.321 | 2.24 | 63.438 | 80 | 5075.05 |
| | | | | | | | | | | Total | 49996.94 |
| | | | | | | | | | | Panelity @ 25 % | 12499.24 |
| | | | | | | | | | | कुल राशी | 62496.18 |

Ranjeet Singh
G-R-S
Gadiyara

TECHNICAL ASSISTANT
GRAM PANCHAYAT... Gadiyara
(B.D.O) BHAWARNA

परिशिष्ट "ट" ", पैरा संख्या "९.१" के संदर्भ में

**ग्राम पंचायत गदियाड़ा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.69 लाख के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोलों का भुगतान करना**

| क्र० सं० | कार्य का नाम | मस्टर रोल संख्या | वा० सं० / दिनांक | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निर्माण/अपवर्धन चौउ शंभू की ज़मीन से जोंडा की ज़मीन तक | 1463 | Nil/04.08.22 | ₹ 11,520.00 |
| 2 | निर्माण चौउ मिडल स्कूल से गोरख राम के घर की ओर वार्ड नं 4 | 1759 | Nil/04.08.22 | ₹ 2,426.00 |
| | | 1760 | Nil/04.08.22 | ₹ 373.00 |
| 3 | निर्माण गोशाला अश्वनी कुमार की ज़मीन पर वार्ड नं 3 | 1559 | Nil/03.08.23 | ₹ 3,958.00 |
| | | 1761 | Nil/21.08.23 | ₹ 4,156.00 |
| 4 | निर्माण गोशाला रणवीर सिंह की ज़मीन पर वार्ड नं 3 | 1560 | Nil/03.08.23 | ₹ 3,958.00 |
| | | 1762 | Nil/21.08.23 | ₹ 4,354.00 |
| 5 | निर्माण सुरक्षा दीवार त्रिलोक के घर के नजदीक वार्ड नं 4 | 1561 | Nil/03.08.23 | ₹ 3,562.00 |
| | | 1658 | Nil/21.08.23 | ₹ 3,562.00 |
| 6 | निर्माण जीप रोड सुशील के घर से कर्म चंद के घर की ओर वार्ड नं 4 | 1562 | Nil/03.08.23 | ₹ 11,079.00 |
| | | 1660 | Nil/21.08.23 | ₹ 13,455.00 |
| 7 | निर्माण सड़क श्मशान घाट घड़ोरल वार्ड नं 4 | 1659 | Nil/21.08.23 | ₹ 6,331.00 |
| | | | **कुल जोड़** | **₹ 68,734.00** |

Ramjeet Singh
G. R. S.
Gadiyara

TECHNICAL ASSISTANT
GRAM PANCHAYAT...Gadiyara..
(B.D.O) DHAWARNA

Tainy Singh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गदियाड़ा
खण्ड पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)